आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम।

लिमिटेड और अन्य

बनाम

मैसर्स पम्पा होटल्स लिमिटेड

(2007 की सिविल अपील संख्या 3272)

अप्रैल 20, 2010

(आर.वी. रवीन्द्रन और एच.एल. दत्तू, जे.जे.,)

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996

धारा. 7 और 2(एच) - मध्यस्थता करार के पक्षकार -कंपनी अपने व्यवसाय की शुरूआत करने की दिनांक से पहले ही अनुबंध में थी - विवाद उत्पन्न होने पर करार का मध्यस्थता खंड - अभिनिर्धारित: कंपनी अनुबंध की तिथि पर अस्तित्वहीन थी, वहा कोई अनुबंध नहीं था - परिणामस्वरूप कोई मध्यस्थता करार नहीं हुआ-अस्तित्वहीन कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा या उनकी और से यदि अनुबंध किया गया होता तो करार वैध होता - कंपनी अधिनियम, 1956 - एस. 149(4) - विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963-धारा 15(एच).

धारा 11 और 16 - माध्यस्थम करार के अस्तित्व या वैधता के संबंध में निर्णय क्या मुख्य न्यायाधीश/माध्यस्थ द्वारा नामित द्वारा निर्णय लिया जाना है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा धारा 11 के अन्तगत आवेदन में नामित मध्यस्थ की नियुक्ति और मध्यस्थता की वैधता के संबंध में कोंकण रेलवे केस पर भरोसा कर यह प्रश्न मध्यस्थ द्वारा तय किया जाने के लिए छोडा जा रहा है। कोंकण रेलवे वाद और उसके बाद का निर्णय ''एसबीपी वाद में कोंकण रेलवे वाद को आॅवररूल कर दिया गया है। एसबीपी वाद के निर्णय के मद्देनजर संभावित ओवर-रूलिंग और अभिनिर्धारित: मध्यस्थता समझौते की वैधता का निर्णय किसके द्वारा किया जाना है। मुख्य न्यायाधीश/नामित एवं तथापि, संभावना की दृष्टि से एसबीपी मामले में अधिनिर्णय निर्देश, मध्यस्थता की वैधता वर्तमान मामले में करार, द्वारा तय किया जाना है। इसे धारा-11 के तहत एक लंबित आवेदन माना गया। मध्यस्थ एवं उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती और इसलिए निर्णय लिया गया एसबीपी मामले में लागू नहीं होगा। ओवर-रूलिंग प्रत्याशा और विलयन का सिद्धांत-

वर्तमान अपील में जो प्रश्न विचारार्थ उठे थे:

(I) जहां मध्यस्थता चाहने वाली पक्षकार एक कंपनी है और जो मध्यस्थता करार पर हस्ताक्षर की दिनांक पर अस्तित्व में नहीं थी तो क्या यह कहा जा सकता है कि पक्षकारों के बीच में एक मध्यस्थता करार है,

(II) मध्यस्थता समझौते का निर्णय किसके द्वारा किया जाना है क्या प्रश्न अस्तित्व या वैधता का है इस प्रश्न का निर्धारण मुख्य न्यायाधीश/नामित द्वारा अधिनियम की 11 के तहत किया जाना है।

न्यायालय ने अपील का निस्तारण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया:

1.1. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र इसके निगमन की तारीख 9-4-2003 दर्शाता है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 149(4) में प्रावधान है कि किसी कंपनी (जो पहले से ही पंजीकृत है) द्वारा उस तारीख से पहले किया गया कोई भी अनुबंध, जिस तारीख को वह व्यवसाय शुरू करने की हकदार है, केवल अनंतिम होगा, और उस तारीख तक उस कंपनी पर बाध्यकारी नहीं होगा, और उस तारीख को यह बाध्यकारी हो जाएगा। अधिनियम की धारा 149(3) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा 6-6-2003 को केवल एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था जो प्रमाणित करता है कि प्रतिवादी व्यवसाय शुरू करने का हकदार है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन में आवेदक 30-3-2002 को अस्तित्व में नहीं था जब मध्यस्थता करार किया गया था। (पैरा 8 और 9) 951-बी-ई, 952-डी-एफ

1.2. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 एक मध्यस्थता करार को पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता के लिए एक समझौते के रूप मे प्रस्तुत करने को परिभाषित करती है। पक्षकार शब्द को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2(एच) में एक पक्ष के में परिभाषित किया गया है एक मध्यस्थता समझौते के लिए लागू करने योग्य एक करार एक विधिक अनुबंध है, करार दो या अधिक व्यक्ति के बीच होना चाहिए इसलिए यदि दोनों पक्षों में से एक को जब मध्यस्थता करार अस्तित्व में नहीं था अनुबंध किया गया तो जाहिर है कोई अनुबंध नहीं था और यदि कोई अनुबंध नहीं था, तो कोई प्रश्न ही नहीं है ऐसे अनुबंध में खंड में पक्षकरों के मध्य एक मध्यस्थता करार है। (पैरा 10, 952-जी-एच 953-ए,)

1.3. कंपनी के प्रमोटरों द्वारा करार नहीं किए जाते हैं लेकिन कथित तौर पर कंपनी द्वारा ही, इसके प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। यह स्वीकृत है कि 30.3.2002 ऐसी कोई कंपनी अस्तित्व में नहीं थी। यह स्वीकृत है कि उस तिथि को उल्लिखित पते पर कपनी का कोई पंजीकृत कार्यालय नहीं था। यह स्वीकृत है कि उस तारीख पर उस नाम की किसी कंपनी या प्रबंध निदेशक के करार पर हस्ताक्षर नहीं थे। जब किसी लीज करार और प्रबंधन करार के का कोई एक पक्षकार अनस्तित्व काल्पनिक पक्षकार, है तब वहा कोई अनुबंध भी नहीं है। यह

ंकिसी एक पक्ष के अस्तित्व में होने का मामला नहीं हैलेकिन अस्तित्व में होने का मामला अनुबंध में प्रवेश करने के लिए कुछ कानूनी अक्षमता के तहत यह यह एक ऐसा मामला है जहां कोई 'पक्षकार' ही नहीं था, लेकिन किसी ने यह दावा किया है कि कंपनी अनुबंध करने के लिए सक्षम थी। पैरा 10, 953-बी-ई,

1.4. अगर प्रवर्तकों द्वारा करार किया जाता तो परिस्थितियां अलग होती । प्रतिवादी-कंपनी के निगमन से कंपनी का उद्देश्य था और निगमन की शर्तों द्वारा गारंटीकृत अनुबंध था से यह स्पष्ट है कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 15(एच) कि यदि पट्टा करार और प्रबंधन करार किया गया था कंपनी के प्रमोटरों द्वारा यह कहते हुए किया गया कि वे कंपनी को सम्मिलित करने के उद्देश्य से अपनी क्षमता के अनुसार अनुबंध में प्रवेश कर रहे हैं प्रमोटरों और इस तरह के अनुबंध की गारंटी है कंपनी के निगमन का क्षेत्र, करार वैध हो और मध्यस्थता के संबंध में शब्द उसे लागू किया जा सकता था। लेकिन सर्वोत्तम कारणों से स्वयं को ज्ञात है, अनुबंध द्वारा दर्ज नहीं किया गया था किसी कंपनी की ओर से प्रवर्तकों को प्रस्तावित किया गया है उनके द्वारा निगमित, लेकिन एक गैर-मौजूदा कंपनी द्वारा एक मौजूदा कंपनी होने का दावा करना। ये साफ पता चलता है के उनके बीच कोई मध्यस्थता करार नहीं है प्रतिवादी (अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन में आवेदक) और अपीलकर्ता-

कंपनी जिसके विरुद्ध ऐसा है समझौते को लागू करने की मांग की गई है। पैरा 11, 953-ई-एफ, 954-बी-डी

2.1. प्रश्न यह है कि इसका विनिश्चय कौन करेगा ? प्रश्न करें कि क्या कोई मौजूदा मध्यस्थता है ''एसबीपी केस होल्डिंग में सहमति है या नहीं, इसका निर्णय लिया गया है सवाल यह है कि क्या कोई मध्यस्थता है करार और क्या जिस पक्ष ने धारा के तहत आवेदन किया है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11, ऐसे समझौते का एक पक्ष है, यह एक मुद्दा है जिसे मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने से पहले अधिनियम की धारा 11 के तहत तय किया जाना है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस मुद्दे का निर्णय मुख्य न्यायाधीश के विद्वान नामित द्वारा किया जाना चाहिए था और इसे मध्यस्थ पर नहीं छोड़ा जा सकता था। लेकिन जैसा कि ऊपर देखा गया है, विद्वान नामित व्यक्ति इस आधार पर आगे बढ़े कि अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्य करते समय, वह न्यायिक क्षमता के तहत नहीं बल्कि केवल प्रशासनिक क्षमता के तहत कार्य कर रहे थे और इसलिए वह इन विवादास्पद मुद्दों पर निर्णय नहीं ले सकते। उन्होंने उपरोक्त कोंकण रेलवे में दो निर्णयों का पालन करके ऐसा किया, जो उस समय इस क्षेत्र पर कब्जा कर रहे थे। पैरा 12, 954-ई-एच, 955-ए-बी

2.2. एसबीपी मामले में सुप्रीम की सात जजों की बेंच कोर्ट ने कोंकण रेलवे के दो फैसलों को खारिज कर दिया. एसबीपी मामले में निर्णय कुछ सप्ताह बाद दिया गया नामित द्वारा विवादित निर्णय. को ध्यान में रखते हुए तथ्य यह है कि धारा 11 के तहत कई निर्णय दिए गए मध्यस्थता अधिनियम के निर्णयों का पालन किया गया था कोंकण रेलवे मामला, इस अदालत ने, जब अपना प्रतिपादन किया एसबीपी मामले में निर्णय को संभावित रूप से खारिज करने का सहारा लिया गया। पैरा 13, 955-बी-डी

2.3. यह कहना सही नहीं है कि इस न्यायालय में अपील की जायेगी इसे आवेदन की निरंतरता के रूप में माना जाना चाहिए । मध्यस्थता अधिनियम के 11 या लंबित मामले के रूप में जो निर्णय एसबीपी मामले में भी लागू होगा हालाँकि नामित ने पहले ही निर्णय दे दिया था एसबीपी मामले में सुनाया गया फैसला और वह लंबित है मामला न केवल मूल कार्यवाही का संदर्भ देगा लेकिन इसमें उससे उत्पन्न होने वाली कोई भी अपील भी शामिल होगी इसलिए कोई भी कार्यवाही जो अंतिम रूप से प्राप्त नहीं हुई है एक लंबित मामला है. यही स्थिति रही होगी यदि अपील और एसबीपी मामले के लिए कोई वैधानिक प्रावधान था के संभावित फैसले को देखते हुए यह निर्देश दिया था कोंकण रेलवे के मामले लंबित नहीं रहेंगे। लेकिन धारा 11 की उपधारा (7). मध्यस्थता अधिनियम मुख्य न्यायाधीश

या उनका नामित निर्णय लेता है तो उस के विरुद्ध अपील का कोई अधिकार नहीं है। अधिनियम की धारा 11. इसके अलावा, एसबीपी मामले में, न्यायालय की नियुक्ति हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किया तब तक किए गए मध्यस्थों को वैध माना जाएगा और सभी आपत्तियों को धारा 16 के अंतर्गत निर्णय हेतु छोड़ दिया जाएगा। पैरा 15, 956-एफ-एच

2.4. एसबीपी में संभावित अधिनिर्णय निर्देश के कारण, 26-10-2005 से पहले अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की किसी भी नियुक्ति को वैध माना जाना चाहिए और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता सहित सभी आपत्तियों को वैध माना जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 16 के तहत मध्यस्थ द्वारा निर्णय लिया जाना है। एसबीपी में फैसले में बताई गई विधिक स्थिति केवल 26-10-2005 से अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर किए जाने वाले आवेदनों के साथ-साथ 26-10-2005 तक लंबित अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदनों को भी नियंत्रित करेगी। (जहां मध्यस्थ अभी तक नियुक्त नहीं किया गया था)। एसबीपी में इस स्पष्ट निर्देश के मद्देनजर, अपीलकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि इस मामले को लंबित आवेदन माना जाना चाहिए। पैरा 16, 957-ए-सी,

2.5. मध्यस्थ को इस मुद्दे पर निर्णय लेना होगा कि क्या मध्यस्थता करार के अस्तित्व के संबंध में हमारे द्वारा बताई गई विधिक

स्थिति के संदर्भ में कोई मध्यस्थता करार है,। यद्यपि मध्यस्थ द्वारा इस तरह का अभ्यास इस मामले में हमारे निर्णय को ध्यान में रखते हुए केवल एक अकादमिक अभ्यास होगा, निर्णय के पैरा 47 (ग) में निहित विशिष्ट दिशा से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट स्थिति को देखते हुए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एसबीपी और उसके बाद के निर्णय से ऐसा अभ्यास अपरिहार्य हो जाता है। पैरा 17, 957 -एफ, ''एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड 2005 (8) एससीसी 618, अनुसरण किया गया।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब प्रा. लिमिटेड 2009 (1) एससीसी 267, सरवन कुमार बनाम मदन लाल अग्रवाल 2003 (4) एससीसी 147, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय बनाम आनंद कूप. यूसी सोसाइटी लिमिटेड और अन्य 2007 (5) एससीसी 295, पर निर्भर

``कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मेहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी 2000 (7) एससीसी 201, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम. रानी कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड 2002 (2) एससीसी 388,

संदर्भित केस कानून

2005 (8) एस.सी.सी. 618	अनुसरण किया गया	पैरा 12

2009 (1) एस.सी.सी. 267	पर आधारित	पैरा 12
2000 (7) एस.सी.सी. 201	का संदर्भ	पैरा 12
2002 (2) एस.सी.सी. 388	का संदर्भ	पैरा 12
2003 (4) एस.सी.सी. 141	पर आधारित	पैरा 13
2001 (5) एस.सी.सी. 295	पर आधारित	पैरा 16

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 2007 की 3272

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के हैदराबाद में माध्यस्थम आवेदन क्रमांक 24/2005 मे पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.8.2005 से

भास्कर पी. गुप्ता, टी.वी. रत्नम, के. पारी वेंधन अपीलकर्ता के लिए

एल. नागेश्वर राव, जी. रामकृष्ण प्रसाद, बी., सी सुयोधन, अमरपाल, भरत जे. जोशी प्रतिवादी के लिए

न्यायालय द्वारा आरवी रवीन्द्रन, जे। ने, निर्णय पारित किया-

1. प्रतिवादी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 9-4-2003 को निगमित कंपनी है। अपीलकर्ता, आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (संक्षेप में ‘‘एपीटीडीसी‘‘) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में अभिव्यक्त एक ‘‘सरकारी कंपनी‘‘ है ।

2. प्रतिवादी के अनुसार, पक्षकारों ने 1.08 एकड़ की हिल व्यू गेस्ट हाउस, अलिपिरी, तिरुपति नामक संपत्ति के संबंध में दो समझौते किए थे। पहला एक पट्टा करार था जिसके तहत एपी टीडीसी ने प्रतिवादी को 33 साल की अवधि के लिए उक्त संपत्ति का पट्टा दिया था और दूसरा एक विकास और प्रबंधन करार था जिसके तहत एपीटीडीसी ने प्रतिवादी को निर्माण, संचालन और प्रबंधन के आधार पर हिल व्यू गेस्ट हाउस संपत्ति में एक तीन सितारा होटल के विकास का काम सौंपा था। प्रतिवादी के अनुसार, दोनों करारें में विवाद समाधान (पट्टा समझौते के खंड 17 और प्रबंधन समझौते के अनुच्छेद 18) के लिए एक प्रावधान शामिल था, जिसमें कहा गया था कि विवादों की स्थिति में, आपसी चर्चा से उन्हें हल करने के लिए सौहार्दपूर्ण ढंग से सर्वोत्तम प्रयास किए जाएंगे और यदि पार्टियों को 30 दिनों (प्रबंधन समझौते के मामले में 60 दिन) के भीतर विवादों का कोई स्वीकार्य समाधान नहीं मिलता है, तो इसे अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

3. एपीटीडीसी का दावा है कि उसने 21-4-2004 को उक्त समझौते को समाप्त कर दिया था और 21-8-2004 को संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। प्रतिवादी ने मार्च 2005 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (''संक्षेप में अधिनियम'') की धारा 11 के तहत मध्यस्थता आवेदन संख्या 24/2005 प्रस्तुत की, जिसमें

आरोप लगाया गया कि पक्षकारों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे। उक्त पट्टा करार और प्रबंधन करार के संबंध में, और पक्ष उन विवादों के संबंध में पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर नहीं पहुंच सके। इसलिए प्रतिवादी ने दिनांक 30-3-2002 के पट्टा करार और दिनांक 30-3-2002 के प्रबंधन करार के संबंध में पक्षकारों (प्रतिवादी और एपीटीडीसी) के बीच विवादों और मतभेदों के निर्णय के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की।

4. एपीटीडीसी ने आवेदन का विरोध किया। एपीटीडीसी द्वारा आग्रह किया गया तथा उनका एक तर्क यह था कि उनके बीच कोई मध्यस्थता करार नहीं था और इसलिए अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने का सवाल ही नहीं उठता। यह बताया गया कि प्रतिवादी के अनुसार, मध्यस्थता करार 30-3-2002 को अस्तित्व में आया, जब पक्षकारों ने मध्यस्थता खंड वाले पट्टा करार और प्रबंधन करार को 30-3-2002 को निष्पादित किया। माना कि प्रतिवादी उस तारीख को अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि उसके एक वर्ष से अधिक समय बाद 9-4-2003 को इसे शामिल किया गया था और यह कि जब यह आरोप लगाया जाता है कि याचिका के पक्षों ने अनुबंध में प्रवेश किया था जिसमें 30-3-2002 को मध्यस्थता करार शामिल थे, और उनमें से एक पक्ष उस तारीख को

अस्तित्व में भी नहीं आया था, तो जाहिर तौर पर पक्षकारों के बीच कोई मध्यस्थता करार के संबंध में कोई अनुबंध नहीं था ।

5. आंध्र प्रदेश के नामित मुख्य न्यायाधीश ने दिनांक 16-8-2005 के आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी और उक्त उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया, इस टिप्पणी के साथ कि इसमें अपीलकर्ता मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता करार की वैधता सहित अपनी सभी दलीलें उठाने का हकदार है। हालाँकि उन्होंने इस विवाद पर ध्यान दिया कि कोई मध्यस्थता करार नहीं था। उन्होंने कहा कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लमिटेड बनाम मेहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी 2000 7 एससीसी 201 और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रानी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड 2002 2 एससीसी 388 , में लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 11 के तहत उनकी केवल एक सीमित प्रशासनिक भूमिका थी, यानी, सहमत प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करना, जिसमें सभी विवादास्पद मुद्दे शामिल थे। कोई मध्यस्थता करार था या नहीं, इसका निर्णय मध्यस्थ को करना होगा। उक्त आदेश को इस अपील में विशेष अनुमति द्वारा चुनौती दी गयी है।

6. प्रस्तुत किए गए तर्कों पर, विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैं।

(I) जहां मध्यस्थता की मांग करने वाली पक्षकार एक ऐसी कंपनी है जो मध्यस्थता समझौते वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि को अस्तित्व में नहीं थी, क्या यह कहा जा सकता है कि पक्षकारें के बीच मध्यस्थता करार है?

(II) क्या मध्यस्थता करार के अस्तित्व या वैधता से संबंधित प्रश्न का निर्णय अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन पर विचार करते समय मुख्य न्यायाधीश/नामित द्वारा या मध्यस्थ द्वारा किया जाना है?

पुनः प्रश्न (I):

7. अधिनियम की धारा 7 मध्यस्थता करार को परिभाषित करती है। इसकी उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि मध्यस्थता करार का मतलब पक्षकारों द्वारा उन सभी या कुछ विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक करार है जो एक परिभाषित विधिक संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हुए हैं या उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं। उप-धारा (2) में प्रावधान है कि एक मध्यस्थता करार एक अनुबंध में मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। उपधारा (3) में प्रावधान है कि मध्यस्थता करार लिखित रूप में होगा। उप-धारा (4) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि एक मध्यस्थता करार लिखित रूप में होता है यदि यह पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज में निहित है। प्रतिवादी का विशिष्ट और स्पष्ट

मामला यह है कि पार्टियों के बीच मध्यस्थता करार, 30-3-2002 को उनके द्वारा हस्ताक्षरित पट्टा करार और प्रबंधन करार में लिखित रूप में निहित है।

8. लीज करार 30-3-2002 को एपीटीडीसी (पट्टादाता) और पंपा होटल्स लिमिटेड (पट्टेदार) के बीच किया गया था। पक्षकारों के विवरण वाला प्रारंभिक भाग पट्टेदार का वर्णन इस प्रकार करता हैः

> "मैसर्स पम्पा होटल्स लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, और इसका पंजीकृत कार्यालय 209, टीपी एरिया, तिरुपति में अपने प्रबंध निदेशक श्री एस. जयाराम चैधरी के माध्यम से है, जिसे इसके बाद 'पट्टेदार' के रूप में जाना जाता है। ', दूसरे भाग के सफल बोलीदाता मेसर्स सुदालागुंटा होटल्स लिमिटेड द्वारा परियोजना को लागू करने के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ-साथ प्रचारित किया गया।
>
> इसी प्रकार एपी टीडीसी (पहली पार्टी) और पंपा होटल्स लिमिटेड (दूसरी पार्टी) के बीच 30-3-2002 को हुए प्रबंधन समझौते में दूसरी पार्टी का वर्णन इस प्रकार किया गया हैः

"मैसर्स पम्पा होटल्स लिमिटेड ('बोली लगाने वाले', सुदालागुंटा होटल्स लिमिटेड द्वारा परियोजना को लागू करने के उद्देश्य से प्रचारित) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 209, टीपी एरिया, तिरुपति में है। श्री एस.जयरामा चैधरी, प्रबंध निदेशक द्वारा (इसके बाद इसे 'कंपनी' के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसकी अभिव्यक्ति जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसमें इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक और दूसरे भाग में नियुक्त व्यक्ति शामिल हैं)।"

इसमें कोई विवाद नहीं है कि दोनों करारों में मध्यस्थता का प्रावधान है। यह भी विवादित नहीं है कि इन दोनों पर एपीटीडीसी के अध्यक्ष के रूप में श्री सी. अंजनेय रेड्डी और पंपा होटल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री एस. जयाराम चैधरी ने हस्ताक्षर किए थे।

9. अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन में आवेदक पम्पा होटल्स लिमिटेड (पंजीकृत कार्यालय 209, टीपी एरिया, तिरूपति, चित्तूर जिला, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध निदेशक श्री जयाराम चैधरी द्वारा किया जाता है) को केवल 9-4-2003 को निगमित किया गया था। कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र इसके निगमन की तारीख 9-4-2003 दर्शाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 34(2) में प्रावधान है कि

निगमन प्रमाणपत्र में उल्लिखित निगमन की तारीख से, ज्ञापन के ऐसे ग्राहक और अन्य व्यक्ति, समय≤ पर कंपनी के सदस्य हो सकते हैं, ज्ञापन में दिए गए नाम के अनुसार एक निगमित निकाय होना चाहिए, जो एक निगमित कंपनी के सभी कार्यों को करने में तुरंत सक्षम हो। धारा 149 की उपधारा (3) में प्रावधान है कि रजिस्ट्रार, उसमें बताए अनुसार घोषणा/विवरण दाखिल करने पर प्रमाणित करेगा कि कंपनी व्यवसाय शुरू करने की हकदार है। कंपनी अधिनियम की धारा 149(4) में प्रावधान है कि किसी कंपनी (जो पहले से ही पंजीकृत है) द्वारा उस तारीख से पहले किया गया कोई भी अनुबंध, जिस तारीख को वह व्यवसाय शुरू करने की हकदार है, केवल अनंतिम होगा, और उस तारीख तक उस कंपनी पर बाध्यकारी नहीं होगा, और उस तारीख को यह बाध्यकारी हो जाएगा। अधिनियम की धारा 149(3) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा 6-6-2003 को केवल एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था जो प्रमाणित करता है कि प्रतिवादी व्यवसाय शुरू करने का हकदार है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन में आवेदक 30-3-2002 को अस्तित्व में नहीं था जब मध्यस्थता करार किया गया था।

10. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अधिनियम की धारा 7, मध्यस्थता करार को पक्षकरों द्वारा मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के करार के रूप में परिभाषित करती है। ‘‘पक्षकार‘‘ शब्द को अधिनियम की

धारा 2(1)(एच) में मध्यस्थता समझौते के एक पक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक करार एक अनुबंध है। करार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होना चाहिए। इसलिए यदि अनुबंध किए जाने के समय मध्यस्थता करार के दो पक्षों में से एक अस्तित्व में नहीं था, तो जाहिर तौर पर कोई अनुबंध नहीं था और यदि कोई अनुबंध नहीं था, तो ऐसे अनुबंध में किसी खंड के बीच मध्यस्थता करार होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। 30-3-2002 के दो करार स्पष्ट रूप से पम्पा होटल्स लिमिटेड को एक मौजूदा कंपनी (सुडालागुंटा होटल्स लिमिटेड द्वारा परियोजना को लागू करने के उद्देश्य से प्रचारित) के रूप में संदर्भित करते हैं, जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शामिल है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 209, टीपी एरिया, तिरुपति में है और इसके प्रबंध निदेशक श्री एस.जयराम चैधरी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। करार कंपनी के प्रमोटरों द्वारा नहीं किए जाते हैं, बल्कि कथित तौर पर कंपनी द्वारा ही किए जाते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व उसके प्रबंध निदेशक करते हैं। यह स्वीकृत है कि 30-3-2002 को ऐसी कोई कंपनी अस्तित्व में नहीं थी। यह भी स्वीकृत है कि उस तारीख को ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जिसका पंजीकृत कार्यालय 209, टीपी एरिया, तिरुपति में था। यह भी स्वीकृत है कि, एस.जयराम चैधरी उस तारीख को उस नाम की किसी भी कंपनी के प्रबंध निदेशक नहीं थे। जब पट्टा करार और प्रबंधन करार में पक्षकारों में से एक, एक अस्तित्वहीन काल्पनिक पक्षकार थी, तो कोई अनुबंध नहीं

होता है। यह किसी एक पक्ष के अस्तित्व में होने का मामला नहीं है, बल्कि अनुबंध में प्रवेश करने के लिए कुछ विधिक अक्षमता के तहत होने का मामला है। यह एक ऐसा मामला है जहां कोई ''पक्षकार'' नहीं थी, लेकिन कोई दावा कर रहा था कि एक मौजूदा कंपनी अनुबंध में प्रवेश करने में सक्षम थी।

11. यदि प्रतिवादी कंपनी के प्रमोटरों द्वारा कंपनी के प्रयोजनों के लिए इसके निगमन से पहले करार किया गया होता और ऐसा अनुबंध निगमन की शर्तों के अनुसार आवश्यक होता तो स्थति अलग होती,। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 15 इस प्रकार प्रदान करती हैः

> " विनिर्दिष्ट अनुपालन कौन प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए उपबंध को छोड़कर, किसी अनुबंध का विनिर्दिष्ट निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है-
>
> (ज) जब किसी कंपनी के प्रमोटरों ने, इसके निगमन से पहले, कंपनी के प्रयोजनों के लिए एक अनुबंध में प्रवेश किया है, और ऐसा अनुबंध निगमन की शर्तों के अनुसार जरूरी है, तो कंपनीः बशर्ते कि कंपनी ने अनुबंध स्वीकार

कर लिया हो और अनुबंध के दूसरे पक्ष को ऐसी स्वीकृति के बारे में सूचित कर दिया हो।"

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 15 (एच) से यह स्पष्ट है कि यदि लीज करार और प्रबंधन करार कंपनी के प्रमोटरों द्वारा यह कहते हुए दर्ज किया गया था कि वे कंपनी के उद्देश्य के लिए अनुबंध में प्रवेश कर रहे हैं। प्रमोटर के रूप में उनकी क्षमता में निगमित किया जाना चाहिए और ऐसा अनुबंध कंपनी के निगमन की शर्तों के तहत जरूरी है, तो करार वैध होगा, और उसमें मध्यस्थता संबंधी नियम लागू किया जा सकता था। लेकिन उन कारणों के बारे में जो वे ही जानते हैं, यह करार पंपा होटल्स लिमिटेड के प्रमोटरों द्वारा उनके द्वारा निगमित की जाने वाली प्रस्तावित कंपनी की ओर से नहीं, बल्कि मौजूदा कंपनी होने का दावा करने वाली एक अस्तित्वहीन कंपनी द्वारा दर्ज किया गया था। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादी (अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन में आवेदक) और एपीटीडीसी जिसके खिलाफ इस तरह के समझौते को लागू करने की मांग की गई है, के बीच कोई मध्यस्थता करार नहीं है।

पुन: प्रश्न (।।)

12. आइए अब इस प्रश्न पर विचार करें कि मौजूदा मध्यस्थता करार है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय कौन करेगा। क्या अधिनियम की धारा 11 के तहत नियुक्ति करने से पहले इसका निर्णय मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, या अधिनियम की धारा 11 के तहत नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाना चाहिए? यह प्रश्न अब सम्पूर्ण नहीं रह गया है। यह प्रश्न एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड 2005 8 एससीसी 618 और और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड 2009 1 एससीसी 267 में निर्धारित किया गया हैं कि कि क्या कोई मध्यस्थता करार है और क्या जिस पक्ष ने अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन किया है, वह ऐसे समझौते का एक पक्ष है, यह एक मुद्दा है जिसे मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने से पहले अधिनियम की धारा 11 के तहत तय किया जाना है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस मुद्दे का निर्णय मुख्य न्यायाधीश के विद्वान नामित द्वारा किया जाना चाहिए था और इसे मध्यस्थ पर नहीं छोड़ा जा सकता था। लेकिन जैसा कि ऊपर देखा गया है, विद्वान नामित व्यक्ति इस आधार पर आगे बढ़े कि अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्य करते समय, वह न्यायिक क्षमता के तहत नहीं बल्कि केवल प्रशासनिक क्षमता के तहत

कार्य कर रहे थे और इसलिए वह इन विवादास्पद मुद्दों पर निर्णय नहीं ले सकते। उन्होंने उपरोक्त कोंकण रेलवे में दो निर्णयों का पालन करके ऐसा किया, जो उस समय इस क्षेत्र पर कब्जा कर रहे थे।

13. एसबीपी (उपरोक्त) में, इस न्यायालय के सात-न्यायाधीशों की बेंच ने कोंकण रेलवे में दिये गये दो निर्णय उलट दिये। एसबीपी निर्णय 16.8.2005 को नामित द्वारा आक्षेपित निर्णय के कुछ सप्ताह बाद 26.10.2005 को दिया गया था। इस तथ्य के संबंध में कि धारा के तहत कई निर्णय दिए गए अधिनियम के 11 ने कोंकण रेलवे में निर्णयों का पालन किया था, इस न्यायालय ने, जब एसबीपी में अपना निर्णय निम्नानुसार निर्देश देकर किया:

> "(ग) चूंकि सभी कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रानी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्देशित थे और अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आदेश उस निर्णय में अपनाई गई स्थिति के आधार पर किए गए हैं, हम स्पष्ट करते हैं कि अब तक किए गए मध्यस्थों या मध्यस्थ न्यायाधिकरणों की नियुक्तियां की जानी हैं सभी आपत्तियों को वैध माना जाएगा और सभी आपत्तियों पर अधिनियम की धारा 16 के तहत निर्णय लिया जाएगा। इस तिथि से, इस निर्णय में अपनाई गई स्थिति

अधिनियम की धारा 11(6) के तहत लंबित आवेदनों को भी नियंत्रित करेगी।

सरवन कुमार बनाम मदन लाल अग्रवाल 2003 4 एससीसी 147 में इस न्यायालय ने यह पाया:

" संभावित अधिनिर्णय' का सिद्धांत शुरू में संविधान के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों पर लागू किया गया था, लेकिन हम समझते हैं कि बाद में इसे विधि के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों पर भी लागू किया गया है। 'संभावित अधिनिर्णय' के सिद्धांत के तहत न्यायालय द्वारा घोषित विधि केवल भविष्य में उत्पन्न होने वाले मामलों पर लागू होती है और उन मामलों पर इसकी प्रयोज्यता को बचाया जाता है जो अंतिम परिणाम प्राप्त कर चुके हैं क्योंकि निरसन अन्यथा उन लोगों पर कठिनाई पैदा करेगा जिन्होंने इसके अस्तित्व पर भरोसा किया था। 'संभावित अधिनिर्णय' के सिद्धांत का आह्वान न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है ताकि वह न्यायालय के समक्ष मामले या मामले के न्याय के अनुरूप ढल सके।"

14. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश 16-8-2005 को दिया गया था। 26-10-2005 को जब एसबीपी में

निर्णय सुनाया गया था, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका दायर करने का समय समाप्त नहीं हुआ था। अपीलार्थी द्वारा विशेष अनुमति याचिका दिनांक 22-11-2005 को दायर की गई थी, जिस पर अनुमति स्वीकृत कर विचार किया गया है। इसलिए अपीलकर्ताओं का तर्क है कि इस अपील को अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन की निरंतरता के रूप में या लंबित मामले के रूप में माना जाना चाहिए, जिस पर एसबीपी में निर्णय लागू होगा, भले ही नामित ने 16-8-2005 को निर्णय दिया था। अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि एक लंबित मामला न केवल मूल कार्यवाही को संदर्भित करेगा बल्कि उसमें उत्पन्न होने वाली किसी भी अपील को भी शामिल करेगा और इसलिए कोई भी कार्यवाही जो अंतिम रूप से प्राप्त नहीं हुई है वह एक लंबित मामला है।

15. अपीलकर्ताओं का तर्क है कि यदि अपील के लिए वैधानिक प्रावधान होता और एसबीपी ने निर्देश दिया होता कि कोंकण रेलवे के संभावित फैसले को देखते हुए, लंबित मामले प्रभावित नहीं होंगे, तो स्थिति यही होती। लेकिन अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (7) मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश के निर्णय को अंतिम बनाती है। अधिनियम की धारा 11 के तहत फैसले के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, एसबीपी में सात-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट निर्देश जारी किया कि तब तक की गई मध्यस्थों की नियुक्ति को

वैध माना जाएगा और सभी आपत्तियों को अधिनियम की धारा 16 के तहत निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाएगा।

16. एसबीपी में संभावित अधिनिर्णय निर्देश के कारण, 26-10-2005 से पहले अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की किसी भी नियुक्ति को वैध माना जाना चाहिए और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता सहित सभी आपत्तियों को वैध माना जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 16 के तहत मध्यस्थ द्वारा निर्णय लिया जाना है। एसबीपी में फैसले में बताई गई विधिक स्थिति केवल 26-10-2005 से अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर किए जाने वाले आवेदनों के साथ-साथ 26-10-2005 तक लंबित अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदनों को भी नियंत्रित करेगी। (जहां मध्यस्थ अभी तक नियुक्त नहीं किया गया था)। एसबीपी में इस स्पष्ट निर्देश के मद्देनजर, अपीलकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि इस मामले को लंबित आवेदन माना जाना चाहिए। वास्तव में हम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय बनाम आनंद कूप मामले का उल्लेख कर सकते हैं। एल/सी सोसाइटी लिमिटेड 2007 5 एससीसी 295 इस न्यायालय ने माना कि यदि कोई नियुक्ति 26-10-2005 से पहले की गई है, तो उस नियुक्ति को वैध माना जाना चाहिए, भले ही उसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई हो।

17. उपरोक्त के मद्देनजर, हम अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन मध्यस्थ को इस मुद्दे पर निर्णय लेना होगा कि क्या मध्यस्थता करार के अस्तित्व के संबंध में हमारे द्वारा बताई गई विधिक स्थिति के संदर्भ में कोई मध्यस्थता करार है,। यद्यपि मध्यस्थ द्वारा इस तरह का अभ्यास इस मामले में हमारे निर्णय को ध्यान में रखते हुए केवल एक अकादमिक अभ्यास होगा, निर्णय के पैरा 47 (ग) में निहित विशिष्ट दिशा से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट स्थिति को देखते हुए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एसबीपी और उसके बाद के निर्णय से ऐसा अभ्यास अपरिहार्य हो जाता है। ।

18. तदनुसार, हम नियुक्ति में हस्तक्षेप किए बिना अपील का निस्तारण करते हैं, लेकिन मध्यस्थ को यह निर्देश देते हैं कि वह जो कहा गया है उसके आलोक में क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व/वैधता के संबंध में विवाद का निर्णय करे।

अपील निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पीयूष जालिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।